कार्यालय सम्भागीय परिवहन अधिकारी
गाजियाबाद

संख्या–358/सा0प्रशा0/अधि0/स0सु0/2020 दिनांक 23 जून 2020

अधिसूचना

चूंकि केन्द्रीय मोटरवाहन अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या–59, 1988) की धारा–112 की उपधारा (2) में प्राविधानित है कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जनता की सुरक्षा, सुविधा या किसी सड़क अथवा पुल के खराब होने के कारण जनहित में मोटरयानों/विभिन्न श्रेणी के मोटरयानों की उक्त धारा की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को उक्त कारणों से संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित किया जा सकता है।

और जहां उक्त अधिनियम की धारा–112 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुसरण में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली–1998 के नियम 178 द्वारा जनपद के रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी; को नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की अधिकारिता क्षेत्रों के भीतर यान की श्रेणी या श्रेणियों की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या–1377 दिनांक 06.04.2018 द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को जनहित में उपर्युक्त प्राविधानों के दृष्टिगत संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित करने का अधिकार प्रदत्त किया गया है।

अतः मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या–59, 1988) की धारा 112 की उपधारा (2) के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम–178 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गाजियाबाद जनपद होकर निकलने/चलने वाले नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र की छोड़कर अन्य मार्गों या मार्गों के अंश पर संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की अधिकतम गति सीमा यातायात निदेशालय के पत्र संख्या–डीटी–812–2019/2741 दिनांक 30.12.2019 में प्रस्तावित गति सीमा निम्नलिखित तालिकानुसार निर्धारित की जाती है :–

क्र0 सं0	मार्ग का नाम एवं संख्या	स्थान (कहां से कहां तक) जहां गति निबंधित रहेगी	यान की श्रेणी अनुसार निबंधित कर निर्धारित की गयी गति सीमा (कि0मी0 प्रति घण्टा)				
			टू व्हीलर	थ्री व्हीलर	चालक सहित 7 सीटों तक वाले यान	चालक सहित 8 से 12 सीटों तक वाले यान	समस्त मालयान एवं स्तंभ 4,5 एवं 6 को छोड़ कर अन्य समस्त यात्री यान
1	2	3	4	5	6	7	8
1	दिल्ली–मेरठ मार्ग (पुराना रा0राज0–58) (राज्य मार्ग–117)	गाजीपुर बोर्डर से कादराबाद तक	60	40	80	70	60
2	मोदीनगर–हापुड़ मार्ग (प्र0जि0मा0–148डब्लू0)	मोदीनगर से गाजियाबाद सीमा तक	40	40	60	60	50
3	मोहनगर–लोनी–वजीराबाद मार्ग (अन्य जिला मार्ग)	मोहननगर चौराहा से लोनी तक	60	40	80	70	60
4	मोदीनगर–निवाड़ी–रघुनाथपुर मार्ग (अन्य जिला मार्ग)	मोदीनगर से निवाड़ी तक	40	40	60	60	50

Scanned with CamScanner

5	मुरादनगर–रावली–सुराना मार्ग (अन्य जिला मार्ग)	मुरादनगर से सुराना तक	40	40	60	60	50
6	बन्थला–ढिकौली मार्ग (अन्य जिला मार्ग)	बन्थला से ढिकौली तक (गाजियाबाद सीमा तक)	40	40	60	60	50
7	भोजपुर–पिलखुआ मार्ग (अन्य जिला मार्ग)	भोजपुर से फरीदनगर तक	40	40	60	60	50
08	चौधरी चरण सिंह अपर गंग नहर (बांयी ओर) कांवड पटरी मार्ग (अन्य जिला मार्ग)	निवाडी पुलिस स्टेशन से मुरादनगर–दिल्ली – मेरठ मार्ग तक	40	40	60	60	50
09	दिल्ली–यमनौत्री मार्ग के किमी0 18 पुलिस चौकी से खजूरी पुस्ता मार्ग (अन्य जिला मार्ग)	पावी पुलिस चौकी से करावलनगर बॉर्डर तक	40	40	60	60	50
10	रा0राज0–24 डासना से कनौजा–हिसाली–असालतपुर–जलालपुर–शोभपुर–नवीपुर–सलेमाबाद–झाल मार्ग (अन्य जिला मार्ग)	डासना से सलेमाबाद झाल तक	40	40	60	60	50
11	रा0राज0–58 मोदीनगर से बेगमाबाद–सौंदा–डिडौली–काकड़ा –सलेमाबाद झाल रेवडी–रेवडा – विहंग मार्ग (अन्य जिला मार्ग)	मोदीनगर से विहंग तक	40	40	60	60	50
12	दुहाई से भिक्कनपुर–भदौली–मनौली–रेवडी–रेवडा मार्ग (अन्य जिला मार्ग)	दुहाई से रेवडी–रेवडा तक	40	40	60	60	50
13	विहंग–नेकपुर–खिन्दौडा–पतला से निवाडी मार्ग (अन्य जिला मार्ग)	विहंग से निवाडी तक	40	40	60	60	50
14	मोदीनगर–निवाडी मार्ग से सुहाना नांगल पुल, ग्यासपुर, रावली, नेकपुर मार्ग (अन्य जिला मार्ग)	मोदीनगर से नेकपुर	40	40	60	60	50
15	रा0राज0–58 पर दुहाई से वाया शाहपुर –भोवापुर–मोरटी–हिन्डन पुस्ता मार्ग (अन्य जिला मार्ग)	दुहाई से हिंडन पुस्ता तक	40	40	60	60	50
16	मोदीनगर–निडौरी–कलछीना–छजारसी मार्ग (रा0राज0–58 से रा0राज0–24 तक वाया कलछीना) (अन्य जिला मार्ग)	मोदीनगर से छजारसी तक	40	40	60	60	50
17	मोदीनगर–तल्हैटा–धनतला मार्ग (अन्य जिला मार्ग)	मोदीनगर से धनतला तक	40	40	60	60	50
18	फररूखनगर से सिरोरा मार्ग (अन्य जिला मार्ग)	टीला मोड से सिरोरा तक	40	40	60	60	50

गति संबंधित उपरोक्त प्रतिबंध निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगा :–

Scanned with CamScanner

1– मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा–116 में विनिर्दिष्ट साईन बोर्ड प्रतिबंधित स्थान के दोनो छोर–प्रारम्भिक एवं अन्तिम बिन्दु पर तथा मध्य में भी जगह–जगह पर आई0आर0सी0 कोड के मानक अनुसार संबंधित सड़क के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वाहन चालकों को इसकी जानकारी व ज्ञान हो सके तथा वे रात्रि में भी चमके इसके लिये रेट्रो–रिफ्लेक्टिव टेप का प्रयोग किया जायेगा।

2– उक्त प्रतिबंध केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 में विनिर्दिष्ट निम्न प्रकार के वाहनों पर लागू नहीं होगाः–

अ) अग्निशमन वाहन

ब) एम्बुलेंस

स) पुलिस वाहन

द) कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य बल तथा अर्ध सैन्य बल के लिये प्रयुक्त होने वाले वाहन

य) प्राकृतिक आपदा के प्रबंधन के लिये प्रयुक्त होने वाले वाहन।

3– उपरोक्त तालिका के कॉलम–3 में उल्लिखित स्थानों को छोड़कर जनपद के सभी मार्गों के अन्य क्षेत्रों (नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर) में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा–112 की उपधारा (1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या–1377 दिनांक 06.04.2018, समय–समय पर यथा संशोधित, द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा यथावत लागू रहेगी।

आज्ञा से,

(विश्वजीत प्रताप सिंह)
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
(प्रशासन)/रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी,
जनपद गाजियाबाद

पृ0सं0–358/अधि0/स0सु0/2020 समदिनांकित

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

2– अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात), यातायात निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

3– जिलाधिकारी, गाजियाबाद।

4– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद।

5– निदेशक, छपाई एवं मुद्रण सामग्री, राजकीय प्रेस, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को राज्य सरकार के प्रकाशित होने वाले सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

6– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड/निर्माण खण्ड–1/निर्माण खण्ड–2/निर्माण खण्ड–3, लोक निर्माण विभाग, गाजियाबाद।

7– प्रोजेक्ट मेनेजर, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (पूर्वी/पश्चिमी), उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
(प्रशासन)/रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी,
जनपद गाजियाबाद

Scanned with CamScanner